न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— **अमिता विश्नोई (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या :— 64 / 2023
Gcms No :— 2016 / 00004

वादी :—

1. घनश्याम पुत्र घेवरराम
जाति दिशान्तरी निवासी
पुनासर तहसील बापिणी
जिला फलौदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. मोहनराम पुत्र घेवरराम
2. अशोक कुमार पुत्र घेवरराम
3. भैराराम पुत्र घेवरराम
4. रूकमा पत्नी घेवरराम फौत के
कायम मुकाम वादी एंव
प्रतिवादीगण संख्यां 01,02,03
5. खेमाराम पुत्र मनफुलराम
6. बाबुलाल पुत्र मनफुलराम
7. नेमाराम पुत्र मनफुलराम
8. गोमन्दराम पुत्र भुराराम फौत के
कायम मुकाम :—

8.1. सुशीला पत्नी गोमदराम
8.2. पृथ्वीराज पुत्र गोमदराम
8.3. मुकेश पुत्र गोमदराम फौत के
कायम मुकाम :—
8.3.1. आशादेवी पत्नी मुकेश
8.3.2. कावेरी पुत्री मुकेश नाबालिग
वली माता आशादेवी पत्नी मुकेश
8.4. नरेश पुत्र गोमदराम
8.5. पावा पुत्र गोमदराम
8.6. मंजु पुत्री गोमदराम

9. धन्नाराम पुत्र भुराराम
10. गणपतराम पुत्र भुराराम
11. पन्नाराम पुत्र चैनाराम फौत के
कायम मुकाम :—

11.1. मांगीलाल पुत्र पन्नाराम फौत
के कायम मुकाम :—
11.1.1. रामेश्वरराम पुत्र मांगीलाल
11.1.2. श्रवणराम पुत्र मांगीलाल
11.1.3. छोटुराम पुत्र मांगीलाल
11.1.4. माडु पत्नी मांगीलाल
11.1.5. घुडी पुत्री मांगीलाल
11.1.6. उमी पुत्री मांगीलाल
11.2. मगाराम पुत्र पन्नाराम
सभी जाति दिशान्तरी निवासी
पुनासर तहसील बापिणी
जिला फलोदी।

प्रर्फोमा — पक्षकार

12. उतमाराम पुत्र खेताराम
13. बालाराम पुत्र खेताराम
जाति भील निवासी पुनासर
तहसील बापिणी जिला फलौदी।

सहायक कलेक्टर बापिणी

14. तिलाराम पुत्र अर्जुनराम
15. जगदीश पुत्र जेठाराम
16. भंवरलाल पुत्र जेठाराम
17. धर्माराम पुत्र जेठाराम
18. मोतीराम पुत्र जेठाराम
    जाति मेघवाल निवासी पुनासर
    तहसील बापिणी जिला फलौदी।
19. बालुराम पुत्र शेराराम
20. मांगीया उर्फ मांगीलाल पुत्र
    पन्नाराम फौत के कायम मुकाम
    प्रतिवादीगण संख्यां 11.1 से 11.
    1.6 तक पक्षकार
21. आसी पत्नी लुणाराम
22. गोमती पत्नी आशाराम
    सभी जाति जाट निवासी
    पुनासर तहसील बापिणी जिला
    फलौदी ।
23. जेठाराम पुत्र गेनाराम
24. पुनाराम पुत्र लिछीराम
    जाति सुथार निवासी पुनासर
    तहसील बानिणी जिला फलौदी
25. प्रहलादराम मेशाराम
    जाति जाट निवासी जाट
    निवासी पुनासर तहसील
    बापिणी जिला फलौदी
26. भंवरलाल पुत्र बींजाराम
    जाति भील निवासी पुनासर
    तहसील बापिणी जिला जोधपुर
27. भीयाराम पुत्र कल्लाराम
    जाति मीणा निवासी राजपुरा
    तहसील बाली जिला पाली।
28. सोहनी पुत्र रामविलाश
29. सन्तोष पत्नी नन्दकिशोर
    जाति माहेश्वरी निवासी पुनासर
    तहसील बापिणी जिला फलौदी।
30. ग्राम पंचायत पुनासर जरिये
    संरपंच ग्राम पंचायत पुनासर
    तहसील ग्राम पुनासर तहसील
    बापिणी जिला फलौदी।
31. श्रीमान तहसीलदार बापिणी
    जिला फलौदी। ।

<u>**वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**</u>

वाद–प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–

अधिवक्ता वादी की ओर से :–राजुराम चौधरी, अशोक कुमार, विक्रमसिंह भाटी, दिनेश मदेरणा।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (1,2,5,6,7,9,10) की ओर से :– चन्दनसिंह भाटी।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सख्या (3,4,8,11 से 30) की ओर से :– कोई नहीं।

अप्रार्थीगण सख्या (31) की ओर से :– राज–पैरोकार

सहायक कलेक्टर बापिणी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 9/09/2025

वादी का वाद प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि – तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम पुनासर के खसरा नम्बर 1137 रकबा 6.8958 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1187 रकबा 3.6664 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1190/1584 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खतेदारी भूमि स्थित है वादी ने वादग्रस्त भूमि का विधिवत बन्टवाड़ा करवाने के लिए वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्यां 1,2,5,6,7,9,10 के अधिवक्ता चन्दनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 3,4,8,11 से 30 की तरफ से कोई नहीं उपस्थित हुए। जिनके विरूद्व वाद में दिनांक 27.09.2016, 13.05.2022, 06.10.2022 व 12.04.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा कर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रकरण दर्ज से लेकर आज तक कोई जबाब पेश नहीं किया जाने पर वादी साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद वादी अधिवक्ता की बहस सुनकर वादी का वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत वाद बन्टवारा स्वीकार करके दिनांक 12.04.2023 को प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी कर तहसीलदार बापिणी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया।

वाद विचाराधिन रहते पक्षकार प्रतिवादीगण संख्यां 08, 20, 08/3, 4 व 11 का देहान्त हो जाने पर विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने के लिए वादी अधिवक्ता ने दरख्वास्ते आदेश 22 नियम 04 की स्वीकार करके फौत हुऐ पक्षकार के कायम मुकाम प्रतिस्थापित किये गये।

चुकि विचारणीय वाद में तहसीलदार बापिणी की मौका रिपोर्ट में उल्लेख करते हुऐ न्यायालय के ध्यान लाया गया हैं कि ग्राम पुनासर के खसरा नम्बर 1190/1584 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भुमि में वादी एंव प्रतिवादीगण 01,02,03 के नाम आंवटित भुमि खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज हैं। तथा उक्त खसरें की किस्म गै.मु. पायतन मिशल बन्दोंबस्त में दर्ज हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने अनेक फैसलों में स्पष्ट कर पायतन भुमि को प्रतिबन्धित किस्म की श्रेणी में रखीं हुई हैं। जिनकी पालना में राज्य सरकार ने अनेक परिपत्र जारी कर किसी भी प्रतिबन्धित किस्म की जमीनों के आंवटनों को रद्द कर पुनः उनके मुल स्वरूप में दर्ज करने के निर्देशानुसार इस खसरें में हुऐ सभी आंवटनों को निरस्त करने के लिए राजस्व विभाग से रेफरेन्स बनाकर सक्षम अधिकारीयों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे हुऐ हैं। तद्दानुसार प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2023 का न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर पुर्नविलाकन कर आंशिक रूप से खसरा नम्बर 1190/1584 तक की डिक्री रिवोक कर अपास्त की जाती हैं। तथा खसरा नम्बर 1137 व 1187 की डिक्री यथावत रखते हुऐ अन्तिम विनिश्चय किया जाना हैं।

तहसीलदार बापिणी की ओर से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिस पर उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुनने पर विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी की वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का आग्रह किया। तहसीलदार बापिणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुऐ प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर शामिल मिसल किया जा कर हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव माफिक बन्टवाड़ा किया जाकर खाता अलग किया जाने की मांग दावें में की है। वादी एंव प्रतिवादीगण को नियमानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अनेक अवसर दिये गये जा चुके हैं। उभयपक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद प्रस्ताव पर को आपत्ति नहीं आयी। और

सहायक कलेक्टर बापिणी

हस्तगत वाद में विधिसम्मत बन्टवारा प्रस्ताव और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वादी का वाद न्यायालय परीक्षण, विवेचना एंव विश्लेषण के द्वारा इस वाद में बन्टवारे के सम्बन्ध में न्यायालय की राय व अभिमत से विभाजन प्रस्ताव न्यायहित में उचित एंव समर्थन योग्य पाया है। अतेव हस्तगत दावा अर्न्तगत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता हैं।

चूकि वादी के वाद का मुख्य अनुतोष बंटवाडे का है तथा प्रतिवादीगण संख्यां 12 से 30 प्रफोर्मा पक्षकार होने से कोई अनुतोष नहीं दिये जाकर न्यायालय निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए सभी सहखातेदारों को सुचना देकर मौका पर उपस्थित रहने की हिदायत के बाद वादग्रस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं।

अतः तहसीलदार बापिणी द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाने योग्य होने से मंजुर किया जा कर वादी के वाद को माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री योग्य पाया है।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनासर की जमाबन्दी सम्वंत 2073–2076 के खाता नम्बर 27 का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि :–

कम संख्या	नाम खातेदार	हिस्से में रखे खसरे के नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	घनश्याम पुत्र घेवरराम जाति दिशान्तरी सा. देह खातेदार	1137	0.8802	बारानी–4	
2.	अशोक कुमार पुत्र घेवरराम 1/11, खेमाराम पुत्र मनफुल 1/33, गणपतराम पुत्र भुराराम 1/11, गोमन्द पुत्र भुराराम 1/11, धन्नाराम पुत्र भुराराम 1/11, नेमाराम पुत्र मनफुल 1/33, पन्नाराम पुत्र चैनाराम 4/11, बाबुलाल पुत्र मनफुल 1/33, भैराराम पुत्र घेवरराम 1/11, मोहनराम पुत्र घेवरराम 1/11 जाति दिशान्तरी सा. देह खातेदार	1137 1137 1187	3.5207 2.4949 3.6664	बारानी–4 बारानी–4 बारानी–4	

उक्त विभाजन प्रस्ताव को सारणी अनुसार हिस्से में रखते हुऐ तथा वादी एंव प्रतिवादीगण के हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी नाम व हिस्सानुसार भूमि बंट में विभाजन प्रस्ताव अनुसार रखीं जाती है तथा मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव फर्द दिनांक 21/08/2025 निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बापिणी तदनुसार अमल दरामद करें अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो कर सम्बधित को पालनार्थ तेहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अमिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बापिणी